कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व,
देहरादून।
5/1, अन्सारी मार्ग, देहरादून–248001
टेलीफोन– 0135–2621669
फैक्स– 0135–2620933

पत्रांक–5220/4–31 दिनांक 30–06–2021
द्वारा
जारी रूचि की अभिव्यक्ति

राजाजी टाईगर रिजर्व की गोहरी रेंज में चौरासी कुटी पुनरूद्धार हेतु रूचि की अभिव्यक्ति के लिए सलाहकार संस्था के चयन हेतु निर्धारित शर्ते

कार्यालय-निदेशक/वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड
5/1, अन्सारी मार्ग, देहरादून - 248001, फोन : 0135 2621669,
फैक्स : 0135 2620933, e mail: director.rajaji@gmail.com

पत्रांक : 5220/4–31 देहरादून दिनांक : 30.06.2021

रूचि की अभिव्यक्ति

राजाजी टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत स्थित चौरासी कुटीया के समुचित विकास एवं उच्चीकरण (आधुनिकीकरण) हेतु लेंडस्कैप एवं पुरातात्विक महत्व के पर्यटन स्थलों के विकास में रूचि रखने वाली संस्थाओं से रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) दिनांक 15.07.2021 तक आमंत्रित की जाती है। इस बारे में विशेष जानकारी एवं शर्तों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक प्रधान कार्यालय, 5/1, अन्सारी मार्ग देहरादून से प्राप्त की जा सकती है जो विभागीय वेबसाइट www.forest.uk.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी।

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून।

Size : 4x6

Scanned with CamScanner

<u>Expression of Interest (EOI) हेतु अनुबन्ध की शर्तें, प्रतिबन्ध एवं दिशा निर्देश</u>

1– फर्म / सलाहकार संस्था को पुरातात्विक भवनों के पुनरुद्धार का अनुभव होना चाहिए।

2– फर्म / सलाहकार संस्था को वन्यजीव / पारिस्थितियकीय पर्यटन बाहुल्य क्षेत्रों में कार्य का अनुभव होना चाहिए।

3– किसी भी कार्य हेतु 84 कुटिया के वर्तमान स्वरुप के साथ कोई छेड़छाड नहीं की जाएगी, मात्र वैज्ञानिक तरीकों से पूर्व से अवस्थित भवनों का उपचार ही किया जाएगा।

4– प्राकृतिक परिवेश का पुनरुद्धार क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थियों के अनुसार ही किया जाएगा।

5– इच्छुक फर्म / सलाहकार संस्था का उत्तराखण्ड में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

6– इच्छुक फर्म / सलाहकार संस्था को अपने पूर्व के कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना होगा।

निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाईगर रिजर्व,
देहरादून।

Scanned with CamScanner

प्रस्तावित कार्य से संबंधित अनुबन्ध की शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. निविदा प्रदान करने से पूर्व फर्म/सलाहकार संस्था से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न निविदा शर्तों का भली प्रकार अध्ययन कर लें। निविदा जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध (एग्रीमेन्ट) शर्तों अथवा निविदा शर्तों की जानकारी न होने विषयक कोई भी तर्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. निविदा प्रपत्र में सूचित कार्य का विवरण/कार्यक्षेत्र घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

3. निविदा को दो भागों (अ) तकनीकी एंव (ब) वित्तीय पृथक–पृथक लिफाफे मे मुहरबन्द कर तथा उस लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम स्पष्ट लिखकर दोनो को एक साथ एक बड़े लिफाफे मे मुहरबन्द कर भेजना होगा।

4. निविदा दर प्रतिशत में ही मान्य होगी।

5. निविदा विवरण/प्रपत्र किसी भी अधिसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून के पक्ष मे 1,000/– रूपये के निरुपित डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान कर निदेशक कार्यालय, देहरादून से प्राप्त किये जा सकेगें। निविदा प्रपत्र विभाग की वेबसाईट से भी सीधे डाउनलोड किये जा सकते हैं परन्तु ऐसा करने पर उपर वर्णित रीति के अनुसार निविदा प्रपत्र के मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ पृथक से संलग्न करना होगा। निविदा प्रपत्र की कीमत किसी भी प्रकार से न तो वापस की जायेगी और न ही किसी दूसरी निविदा प्रपत्र के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।

6. निविदा प्रपत्र के साथ रु. 100.00 मात्र का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर रु. 1.00 का रसीदी टिकट हस्ताक्षर युक्त लगाकर जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमे निविदा दरों की वैधता का प्रमाण–पत्र अंकित होना अनिवार्य है।

7. निविदा प्रपत्र मात्र उसी व्यक्ति/संस्था हेतु मान्य होगा जिसके नाम से वह निर्गत किया गया है।

8. निविदाओं की मूल हस्ताक्षरित प्रति पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट अथवा स्वंय उपस्थिति होकर नियत तिथि एवं समय (सांय 5:00 बजे) तक कार्यालय में जमा की जा सकती है। डाक से विलम्ब या अन्य कारण से निविदा प्राप्त न होने पर अधोहस्ताक्षरी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9. सशर्त निविदा एवं अपूर्ण भरी निविदा मान्य नहीं होगी। निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त अथवा आवश्यक अभिलेखों रहित अथवा अपूर्ण निविदा प्रपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेगें।

10. जमानत की धनराशि निविदा के साथ बैंको की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/बैंक गारण्टी के रुप मे निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पदनाम से बंधक होनी अनिवार्य है। प्रत्येक निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई0एम0डी0/धरोहर राशि) की 50000/– रूपये धनराशि को निर्धारित प्रारुप मे संलग्न करना आवश्यक होगा।

11. निविदा देने के उपरान्त अथवा स्वीकृति के उपरान्त कोई भी प्रत्यावर्तन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

12. सक्षम फर्म/सलाहकार/संस्था की योग्यता का निर्धारण जटिल प्रकृति के कार्यों की निविदा के अनुरुप किया जायेगा जो तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता तथा अनुभव के आधार पर किया जायेगा। पहले तकनीकी बिड खोली जायेगी तथा अर्हता पूर्ण करने पर ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

13. निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने की स्थिति में, निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।

14. किसी एक निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून के पास सुरक्षित रहेगा।

15. किसी भी निविदा में किये गये संशोधनों को फर्म/सलाहकार संस्था द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना आवश्यक होगा।

16. प्रत्येक स्वीकृत निविदा हेतु फर्म/सलाहकार संस्था को निविदा मे अंकित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा निविदा स्वीकृति की सूचना प्रेषित की जायेगी। ऐसे पत्र के निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर फर्म/सलाहकार संस्था को रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध (एग्रीमेन्ट) निष्पादित करना होगा तथा ऐसा न करने पर उसके निविदा की स्वीकृति को समाप्त समझा जायेगा व जमा ई0एम0डी0/धरोहर राशि को वन विभाग, उत्तराखण्ड के पक्ष में अधिग्रहीत कर लिया जायेगा।

17. निविदा स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध सम्बन्धी शासकीय वसूलियाँ तथा स्टाम्प ड्यूटी, जी0एस0टी0 आदि नियमानुसार संस्था द्वारा देय होगी।

18. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त चयनित फर्म/सलाहकार संस्था को अनुबन्ध करते समय अनुबन्धित राशि की 05 प्रतिशत प्रतिभूति बैंकों की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 अथवा बैंक गारण्टी (जमानत की धनराशि को समायोजित करते हुये) के रुप मे जमा करना होगा। यह जमानत धनराशि कार्य सन्तोषजनक रुप से पूर्ण किये जाने के 12 माह के बाद अवमुक्त की जायेगी।

19. चयनित फर्म/सलाहकार संस्था अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करते समय यह भी अनुबन्ध करेंगा कि वह हैसियत प्रमाण–पत्र मे वर्णित सम्पत्तियों आदि को न तो बेचेगा और न ही गिरवी रखेगा।

20. समय से अनुबन्ध हस्ताक्षरित न करने अथवा बन्धन धनराशि जमा न करने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।

21. निविदा स्वीकृति की सूचना भेजने के उपरान्त निर्धारित अवधि के भीतर अनुबन्ध नहीं करने पर धरोहर/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा दूसरे क्रम के फर्म/सलाहकार संस्था को कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा।

22. यदि पंजीकृत फर्म/सलाहकार संस्था द्वारा प्रस्तुत निविदा कार्य करने हेतु उचित नही समझी जाती है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वे बिना पंजीकृत फर्म/सलाहकार संस्था से निविदा आमंत्रित कर कार्य का आवंटन कर सकती है।

23. निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून को यह अधिकार होगा कि वह चयनित फर्म/सलाहकार संस्था द्वारा निर्धारित कार्यों को आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा सकता है तथा यह निर्णय निविदादाता पर बाध्यकारी होगा। यदि निविदा में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त कार्य कराया जाना आवश्यक होता है तो फर्म/सलाहकार संस्था को वह कार्य भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कार्य करना होगा।

Scanned with CamScanner

24. निविदा प्राप्त करने वाली फर्म/सलाहकार संस्था स्वयं ही कार्य करेगी, फर्म/सलाहकार संस्था किसी अन्य ठेकेदार संस्था को कार्य हस्तान्तरित नहीं करेगी तथा सलाहकार संस्था को सम्बन्धित कार्यों का निरीक्षण करने वाले अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों का ब्यौरा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

25. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त असफल फर्म/सलाहकार संस्था द्वारा आवेदन करने पर ई0एम0डी0/धरोहर राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जायेगी।

26. बिल के भुगतान के समय नियमानुसार राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित करों की कटौती भुगतान से की जायेगी। फर्म/सलाहकार संस्था द्वारा दी गयी दरों मे जी0एस0टी0 शामिल माना जायेगा। विभाग द्वारा जी0एस0टी0 पृथक से देय नहीं होगी।

27. किसी भी वाद की स्थित में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) होंगे तथा उनका निर्णय अंतिम एवं उभय पक्षों को मान्य होगा।

28. फर्म/सलाहकार संस्था को भारतीय वन अधिनियम–1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम–1972, कान्ट्रेक्ट लेबर (Abolition) अधिनियम–1970 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के प्राविधानो का पालन करना अनिवार्य होगा।

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाईगर रिजर्व,
देहरादून।

Scanned with CamScanner

तकनीकी गुणवत्ता हेतु मानकः–

1. पिछले 05 वर्षों मे यदि किसी अनुभवी संसाधन युक्त तकनीकी रुप से दक्ष फर्म/सलाहकार संस्था जिसने इस प्रकार की निविदान्तर्गत कार्य का अनुभव प्राप्त हो, को वरीयता दी जायेगी।
2. GST नम्बर, आधार कार्ड, बैंक सोलवेन्सी (कार्य के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर) आदि प्रमाण पत्र।
3. फर्म/सलाहकार संस्था का लगातार पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत वित्तीय टर्न ओवर उक्त कार्य के तीस प्रतिशत (30%) से कम नहीं होना चाहिए।
4. फर्म/सलाहकार संस्था ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए और न ही उससे सम्बन्धित किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित होना चाहिए।
5. सलाहकार संस्था के कर्मचारियों की योग्यता उच्च कोटि की हो एवं उनकी संख्या पर्याप्त हो।

तकनीकी बिड हेतु आवश्यक प्रमाणकः–

1. फर्म/सलाहकार संस्था/ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन/जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र।
2. GST नम्बर, आधार कार्ड, TAN नम्बर
3. तीन वर्षों (2018–19, 2019–20, एंव 2020–21) का वित्तीय बैंलेंस शीट (CA से प्रमाणित)।
4. किसी विधिक/न्यायिक प्रकरण से विगत 03 वर्षों मे लिप्त नहीं होने का प्रमाणक।
5. पिछले 03 वर्षों के कार्य का अनुभव।
6. वित्तीय वर्ष 2020–21 का जी0एस0टी0 रिटर्न प्रमाण पत्र।

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाईगर रिजर्व,
देहरादून।

Scanned with CamScanner